भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1492
28/07/2026 को उत्तर के लिए
केरल में पारंपरिक मछुआरे

+1492. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:
क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केरल में पारंपरिक मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने केरल को केरोसिन के आवंटन में कमी के कारण केरल के मछुआरों को होने वाली कठिनाइयों की जांच की है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा केरल को केरोसिन का आवंटन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का मछुआरों को उनकी आउटबोर्ड मोटर चलाने के लिए आपूर्ति हेतु रियायती केरोसिन का आवंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ)क्या सरकार ने केरल में वर्ष 2020-21 के 37,056 किलोलीटर से केरोसिन का आवंटन घटाकर 1,854 किलोलीटर किए जाने के कारण वहां के मछुआरों के समक्ष उत्पन्न संकट का मूल्यांकन किया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो मछुआरों के लिए और अधिक रियायती केरोसिन का आवंटन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार केरल सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। प्रमुख योजनाओं में ब्लू रिवोल्यूशन योजना (2015-16 से 2019-20), मात्स्यिकी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का विस्तार (2018-19 से), मात्स्यिकी अवसंरचना विकास निधि (FIDF) (2018-19 से 2025-26), 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) (2020-21 से 2026-27), और नई केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना अर्थात प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) (2023-24 से 2026-27) शामिल हैं। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, संसाधनों की संधारणीयता सुनिश्चित करना, मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना, रोजगार सृजन करना, मछुआरों की सुरक्षा और मछुआरों व मत्स्य किसानों की सामाजिक-आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना रहा है।

विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष (FY 2026-27) के दौरान, PMMSY के तहत मत्स्यपालन विभाग (DoF), भारत सरकार ने केरल सरकार के 1413.91 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। संस्वीकृत गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्यन प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों को आजीविका सहायता, नावों और जालों की खरीद के लिए पारंपरिक मछुआरों को सहायता, एकीकृत आधुनिक तटीय मात्स्यिकी ग्रामों की स्थापना, जलवायु प्रतिरोधी तटीय मात्स्यिकी ग्रामों की स्थापना, अतिरिक्त और वैकल्पिक आजीविका गतिविधियां जैसे कि बाइवेल्व खेती, केज कल्चर, सजावटी मत्स्यपालन, मत्स्य

बाजार और कियोस्क, कोल्ड चेन सुविधाएं, लाइव मत्स्य विक्रय केंद्र, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम और फिशिंग हार्बर और विपणन सुविधाओं का विकास आदि शामिल हैं।

(ख) से (ङ) केंद्र सरकार हर तिमाही में सुपीरियर केरोसिन ऑयल (SKO) आवंटित करती है, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसके वितरण का प्रबंधन पूरी तरह से संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार करती है। इस विषय से संबंधित नोडल मंत्रालय होने के नाते पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) ने सूचित किया है कि चूंकि केरोसीन एक प्रदूषणकारी ईंधन है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसलिए केरल सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीडीएस केरोसीन आवंटन को वर्ष 2010-11 से युक्तिसंगत बनाया गया है। आज तक, 21 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश PDS केरोसीन मुक्त हो गए हैं। सरकार ने केरल सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों से बातचीत के बाद 2025-26 से 2027-28 की अवधि के लिए एक नई "PDS केरोसिन आवंटन नीति" बनाई है। इस नीति के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाना पकाने, रोशनी करने और विशेष ज़रूरतों के लिए "PDS SKO" की एक ही श्रेणी के तहत तिमाही आधार पर आवंटन किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को उनकी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था या विशेष जरूरतों (मत्स्यपालन, मेला, प्रदर्शनियों, महामारी, आपदा आदि) के लिए "PDS SKO" को आगे आवंटन करने की स्वतंत्रता दी गई है। पीडीएस नेटवर्क के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर पीडीएस एसकेओ का वितरण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जाता है। तदनुसार, वितरण का पैमाना और मानदंड भी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है।

MoPNG ने आगे सूचित किया है कि नई नीति के तहत, केरल सरकार को वर्ष 2025-26 के लिए 22,704 किलो लीटर PDS SKO आवंटित किया गया है, जबकि वर्ष 2024-25 के लिए कुल आवंटन 4,368 किलो लीटर PDS SKO था; अर्थात इसमें 419.78% की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य ने 22,704 किलो लीटर की आवंटित मात्रा में से 17,724 किलो लीटर उठाया, जिससे 4,980 किलो लीटर व्यपगत हो गया।

यह भी सूचित किया गया है कि, मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, 30 जून 2026 तक उठाने हेतु MoPNG के दिनांक 12.03.2026 के पत्र माध्यम से राज्य को खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए 1716 केएल पीडीएस एसकेओ का तदर्थ आवंटन भी किया गया था। आबंटित मात्रा में से, राज्य ने केवल 1512 किलोलीटर (KL) ही उठाया, जिससे 204 किलोलीटर की मात्रा व्यपगत (लैप्स) हो गई। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2026) और दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2026) के लिए केरल राज्य को 4068 किलोलीटर प्रति तिमाही का आबंटन किया गया है।
